मुकदमों का विवरण

दसांगलु पुल बनाम.

ल्युपलम क्रि

(2023 की सिविल अपील No.3710) 19 अक्टूबर, 2023

[ए**.** एस**.** बोपन्ना और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे:क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में, 'जीवनसाथी' से संबंधित कॉलम में 'लागू नहीं' के रूप में फॉर्म-26 में अपीलार्थी द्वारा किया गया संकेत, उसके जीवनसाथी के स्वामित्व वाली संपत्तियों का खुलासा न करने के बराबर होगा; और क्या यह चुनाव के बाद एक सफल उम्मीदवार के नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण चरित्र के दोष के बराबर होगा क्योंकि उसने परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया था।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम**, 1951 -s.100 (1) (**डी**) (iv)-**अपीलार्थी**-**लौटे उम्मीदवार और उनके दिवंगत पति जो **45-**ह्युलियांग **(**एस**.** टी**.)** विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा के मौजूदा सदस्य थे**,** अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी जनजाति के थे और जैसा कि उक्त जनजाति की प्रथा के तहत अनुमति दी गई थी**,** उन्होंने अपीलार्थी से अपनी तीसरी पत्नी के रूप में शादी की थी**-**उच्च न्यायालय ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया।**100(1)(**घ**) (iv)** यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उसके दिवंगत पति के स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण प्रपत्र**-26** के सुसंगत कॉलम में इंगित नहीं किया गया था और जब अपीलार्थी के दिवंगत पति की पहली पत्नी के पक्ष में जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को उस तारीख को अलग रखा गया था जब नामांकन पत्र का नेतृत्व अपीलार्थी कर रहा था**,** तो जिन संपत्तियों से संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया था**,** क्योंकि पति या पत्नी की संपत्ति का उल्लेख शपथ पत्र के प्रपत्र**-26** में किया जाना चाहिए था।

आयोजित किया गया:अपीलार्थी द्वारा स्थापित मामला यह था कि मिश्मी जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार यह केवल पहली पत्नी है जो **1022** में उत्तराधिकारी बनी।

पति की संपत्तियाँ यदि मृत्यु के समय मृतक की एक से अधिक पत्नियाँ थीं और इस प्रकार अपीलार्थी का उक्त संपत्तियों पर कोई दावा नहीं था-न तो पति या पत्नी की मृत्यु की तारीख को

और न ही वर्ष 2016 में पहली बार चुनाव के लिए नामांकन की तारीख को या जब नामांकन 22.03.2019 पर किया गया था, तो मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया था-इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र dtd.04.05 को उठाई गई चुनौती के बारे में बहुत कुछ किया गया है।2017 पहली पत्नी के पक्ष में जारी किया गया, जिसे पहली पत्नी की तिथि के अनुसार अलग रखा गया था-इस तथ्य के अलावा कि विवाद अभी भी उस मंच के समक्ष बड़े पैमाने पर था, जिस पर इसे प्रेषित किया गया था, किसी भी स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को स्वयं संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है-यह उत्तराधिकार निर्धारित करने का एक तरीका है जिसके आधार पर परिणामी कार्रवाई होगी-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, फॉर्म-26 में कॉलम में संपत्तियों का खुलासा यह इंगित करने के लिए कि पति या पत्नी की संपत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी, पहली बार, क्योंकि पति या पत्नी जीवित नहीं थे और उनकी मृत्यु पर उत्तराधिकार खोला गया था, अन्यथा भी अपीलकर्ता100(1)(घ) (i) (iv)-प्रत्यर्थी का तर्क कि यह गैर-प्रकटीकरण के बराबर होगा और इसलिए पर्याप्त चरित्र का दोष स्वीकार नहीं किया गया-विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-चुनाव याचिका खारिज कर दी गई-चुनाव नियम, 1961 का संचालन।[पैरा 9,13,14,17 और 18]

चुनाव-चुनाव याचिका-हस्तक्षेप का दायरा-प्रतिवादी की याचिका कि मिश्मी जनजाति द्वारा पालन की जाने वाली प्रथा के संबंध में गवाह द्वारा व्यक्त की गई राय में कोई एकरूपता नहीं है:

आयोजित किया गया:चुनाव याचिका में इस न्यायालय के लिए उपलब्ध दायरे में इस न्यायालय के लिए प्रथागत अधिकार या विरासत के अधिकार की जांच करना उचित नहीं होगा-केवल इस बात पर ध्यान देना उचित होगा कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जहां उत्तराधिकार खोले जाने के बाद अपीलार्थी का स्वयं संपत्तियों पर कोई दावा नहीं है, पति या पत्नी की संपत्तियों का उल्लेख न करना एक महत्वपूर्ण दोष था।[पैरा 9] 1023

दासांगलु पुल बनाम लुपलम क्री 1024

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

किसान शंकर कथोर बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत और अन्य। (2014) 14

एससीसी 162:2014 [7]एससीआर 258-प्रतिष्ठित।

मैरेम्बम पृथ्वीराज @पृथ्वीराज सिंह बनाम पुखरम शरतचंद्र

सिंह (2017) 2 एससीसी 487:2016 (9)एस. सी. आर. 687-लागू नहीं होता।

भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधार संगठन (2002) 5 एस. सी. सी.

294 :2002 [3] एस. सी. आर. 696-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 3710।2019 के ई. पी. संख्या 3 में ईटानगर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 25.04.2023 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री तातिनी बसु, बोबोय पोत्सांगबाम, गामसो बिल्लै, बिलुसो तुलांग, कुमार शशांक, सुश्री नितिप्रिया कर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

संतोष पॉल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरविंद गुप्ता, अनिल कुमार साहू, मोहित बिधूड़ी, श्रीमती सुमन शर्मा, साग्निक बोस, वेदांश मिश्रा, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष 2019 की चुनाव याचिका संख्या 3 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ईटानगर पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश पर कार्रवाई कर रहा है।उक्त निर्णय और आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यहाँ अपीलार्थी, जो लौटाया गया उम्मीदवार है, ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ('R.P.Act' संक्षेप में) की धारा 33 के अनुसार अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और इस तरह अपीलार्थी का नामांकन पत्र आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2) (बी) के तहत खारिज होने योग्य है। इस दृष्टि से यह माना जाता है कि

कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन की अनुचित स्वीकृति ने इसलिए चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।इसलिए आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 100 (1) (डी) (iv) के तहत दिनांकित अधिसूचना के अनुसार आयोजित चुनाव में 45-ह्युलियांग (एस. टी.) विधानसभा क्षेत्र से अपीलार्थी का चुनाव अमान्य घोषित किया जाता है।अतः उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होने का दावा करने वाला अपीलार्थी इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष है।

2. हमने श्री जयदीप गुप्ता, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री संतोष पॉल, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है और अपील पत्रों का अध्ययन किया है।

3. ध्यान देने योग्य संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी और उसके दिवंगत पति अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी जनजाति के हैं।अपीलार्थी स्वर्गीय खालिको पुल के पति 45-ह्युलियांग (एसटी) विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा के मौजूदा सदस्य थे।जैसा कि उक्त जनजाति की प्रथा के तहत अनुमति दी गई थी, स्वर्गीय खालिको पुल ने मई, 2015 के दौरान अपीलार्थी से अपनी तीसरी पत्नी के रूप में शादी की।उक्त स्वर्गीय खालिको पुल का 09.08.2016 पर निर्वसीयत निधन हो गया।उनके परिवार में तीन पत्नियां (अपीलार्थी सहित) और सात बेटे हैं।पति की मृत्यु पर, अपीलार्थी ने पहली बार उक्त निर्वाचन क्षेत्र से 19.11.2016 पर हुए उपचुनाव में चुनाव लड़ा और सफल रहा।पहले की अवधि के लिए विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद, जब चुनावों को 18.03.2019 पर अधिसूचित किया गया था, तो अपीलार्थी ने 22.03.2019 पर अपने नामांकन का नेतृत्व किया।उन्होंने संबंधित कागजात संलग्न किए जिनमें चुनाव आचरण नियम, 1961 (संक्षेप में 'नियम 1961') के नियम 4 ए के फॉर्म 26 के तहत शपथ पत्र शामिल था।

4. यहाँ प्रतिवादी भी एक उम्मीदवार था और उसने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन का नेतृत्व किया था।आई. डी. 1 पर प्रत्यर्थी एफ. आई. ने एक जवाबी हलफनामे का नेतृत्व किया जिसमें अपीलार्थी के नामांकन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी के नेतृत्व में नामांकन में पर्याप्त दोष है और रिटर्निंग ऑफिस से उसके नामांकन को अस्वीकार करने का आग्रह किया गया।जिस आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा इस तरह की चुनौती दी गई थी, वह यह है कि अपीलार्थी जिसका अपने जीवनसाथी की संपत्तियों पर हित और दावा है, उसने 25.03.2019 पर दिए गए अपने हलफनामे में इसका उल्लेख नहीं किया है।उस संबंध में, यह प्रत्यर्थी का मामला था कि उसके पति या पत्नी की संपत्तियों का खुलासा न करना महत्वपूर्ण चरित्र के दोषों के बराबर है और इस तरह नामांकन 1025

अस्वीकार किए जाने योग्य था।तथापि, निर्वाचन अधिकारी ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया था और अपीलार्थी के नामांकन को स्वीकार कर लिया था।उस पृष्ठभूमि में, चुनाव 11.04.2019 पर आयोजित किए गए थे और परिणाम 23.05.2019 पर घोषित किए गए थे जिसमें अपीलार्थी को 5663 वोट मिले थे जबकि प्रतिवादी को 4591 वोट मिले थे।इसलिए अपीलार्थी को 45-हयुलियांग (एसटी) विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य के रूप में 1072 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था।

5. यह उस पृष्ठभूमि में है, प्रत्यर्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ईटानगर पीठ के समक्ष 03.07.2019 पर चुनाव याचिका No.3/2019 के माध्यम से अपीलार्थी के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी कि अपीलार्थी का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था जिसने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।जवाब में अपीलार्थी ने 20.01.2020 पर एक अभियोग मामला संख्या 1 (AP)/2020 का नेतृत्व किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी ने अपने नामांकन

के दिन प्रोफिट का एक आधिकारिक सीई आयोजित किया था और इसलिए उनका नामांकन वास्तव में अस्वीकार किए जाने योग्य है।चुनाव याचिका में, अपीलार्थी ने अपने लिखित बयान का नेतृत्व किया और उनके नामांकन की स्वीकृति को वैध बताया।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई दलीलों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अपने विचार के लिए 8 मुद्दों को तैयार किया।अपनी चुनाव याचिका के समर्थन में प्रत्यर्थी ने खुद को पीडब्लू-1 और रिटर्निंग ऑफिस श्री डागबोम रिबा को पीडब्लू-2 के रूप में जांच की।दूसरी ओर, अपीलार्थी ने अपने बचाव में 14 गवाहों से पूछताछ की थी, जिसमें उनके परिवार के सदस्य, नामांकन में उनकी सहायता करने वाले वकील और उनके चुनाव एजेंट भी शामिल थे।उसके समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करने पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी के दिवंगत पति के स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण फॉर्म-26 के प्रासंगिक कॉलम में नहीं दिया गया था, जिसमें पति या पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण दिया गया था।उक्त कॉलम में अपीलार्थी ने 'लागू नहीं' के रूप में संकेत दिया था।इसी दृष्टि से, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि ऐसी परिस्थिति में जब स्वर्गीय खालिको पुल की पहली पत्नी के पक्ष में जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 2 को उस तारीख को अलग कर दिया गया था जब नामांकन पत्र का नेतृत्व अपीलार्थी ने 1 पर किया था, जिन संपत्तियों से संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया था, क्योंकि पति या पत्नी का उल्लेख शपथ पत्र के फॉर्म-26 में किया जाना चाहिए था।

7. उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष पर हमला करने के लिए अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आग्रह किए गए तर्कों और उसे बनाए रखने के लिए प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा रखी गई दलीलों की पृष्ठभूमि में, हम ध्यान देते हैं कि हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा एक विस्तृत विचार किया गया है और हमारे सामने दोनों तरफ के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस संबंध में रखी गई दलीलें भी विस्तृत हैं, विचार के लिए जो एकमात्र मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा फॉर्म-26 में दिया गया संकेत, 'जीवनसाथी' से संबंधित कॉलम में 'लागू नहीं' के रूप में, इसमें उभरने वाले तथ्यों और परिस्थितियों में उसके पति या पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्तियों का खुलासा न करना होगा, जैसा कि एक सामान्य मामले में समझा जाएगा और क्या वह है।

8. इस पहलू पर, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संदर्भ के बिना भी निर्विवाद तथ्य यह है कि अपीलार्थी स्वर्गीय कलिखो पुल के पति ने अपने जीवनकाल के दौरान निम्नलिखित संपत्तियों का स्वामित्व और स्वामित्व किया थाः-

“(1).प्लॉट नंबर 1:क्षेत्र 581 वर्ग यार्डःस्थान मुंबई, महाराष्ट्र।

(2).प्लॉट No.480:क्षेत्र 550 वर्ग यार्डःस्थान मुंबई, महाराष्ट्र।

(3).प्लॉट No.483-484:क्षेत्र 1166 वर्ग यार्डःस्थान मुंबई, महाराष्ट्र।

4).प्लॉट No.485-486:क्षेत्र 1148 वर्ग यार्डःस्थान मुंबई, महाराष्ट्र।

5).प्लॉट/डैग No.37 (ए):क्षेत्र 5950 वर्ग मीटर; स्थान खुपा, (उच्चतम) अंजॉ।

6).प्लॉट/डैग No.894:क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर; स्थान तेजू (शिक्षित युवा कॉलोनी)।"

लेकिन, सवाल उनकी मृत्यु के बाद इसकी स्थिति के संबंध में है।

1027

दसांगलु पुल बनाम लुपलम क्री [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 1028

9. यह तथ्य कि अपीलार्थी ने पति या पत्नी से संबंधित संपत्ति के विवरण के संकेत से संबंधित प्रपत्र-26 के कॉलम में 'लागू नहीं' के रूप में संकेत दिया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व-प्रत्यक्ष संकेत देगा कि उपर्युक्त संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया था।हालाँकि, सवाल यह होगा कि क्या अपीलार्थी का उक्त संपत्ति पर पति की मृत्यु पर या तो उसकी संपत्ति होने का कोई दावा था या वह सफल होने का हकदार होने का दावा करता है।यह तथ्य कि पति की मृत्यु 09.08.2016 पर हुई थी, यह इंगित करेगा कि उस दिन उत्तराधिकार का अधिकार खुल गया था और संपत्ति पति की संपत्ति बनी नहीं रहेगी।उस परिस्थिति में, तकनीकी रूप से यदि अपीलार्थी इसमें सफल हो जाता है, तो उक्त संपत्तियों को खुलासा करने के लिए उसकी अपनी माना जा सकता है और इसे पति या पत्नी के रूप में इंगित करने का सवाल ही नहीं उठेगा।इसलिए अपीलार्थी द्वारा स्थापित मामला यह है कि मिश्मी जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार यह केवल पहली पत्नी है जो पति की संपत्तियों का उत्तराधिकारी होगी यदि मृत्यु के समय मृतक की एक से अधिक पत्नियाँ थीं और इस तरह अपीलार्थी का उक्त संपत्तियों पर कोई दावा नहीं था।इसी संदर्भ में, अपीलार्थी ने उन गवाहों से पूछताछ की है जिन्होंने मिश्मी जनजाति के व्यक्तियों के बीच विरासत के तरीके के बारे में बात की है।यद्यपि प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील यह इंगित करना चाहते हैं कि मिश्मी जनजाति द्वारा पालन की जाने वाली प्रथा के संबंध में गवाह द्वारा व्यक्त की गई राय में कोई एकरूपता नहीं है, हमारी राय है कि इस न्यायालय के लिए एक चुनाव याचिका में उपलब्ध दायरे में इस न्यायालय के लिए प्रथागत अधिकार या विरासत के अधिकार की जांच करना उचित नहीं होगा।केवल इस बात पर ध्यान देना उचित होगा कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जहां उत्तराधिकार खोले जाने के बाद अपीलार्थी का स्वयं संपत्तियों पर कोई दावा नहीं है, पति या पत्नी की संपत्तियों का उल्लेख न करना एक महत्वपूर्ण दोष था।

10. उस परिस्थिति में, निर्विवाद तथ्य यह है कि 22.03.2019 पर नामांकन की अंतिम भाषा से बहुत पहले श्रीमती के पक्ष में 04.05.2017 पर एक कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी तेजू, लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश की अदालत द्वारा डांगविम्साई पुल, अर्थात स्वर्गीय खालिको पुल की पहली पत्नी के पक्ष में। उस प्रमाण पत्र का पैरा-3 वास्तव में पहली पत्नी के रूप में कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसके अधिकार को मान्यता देता है और उसमें संपत्ति के विवरण का उल्लेख किया गया है।प्रत्यर्थी का मामला यह है कि अपीलार्थी ने

कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के मुद्दे को चुनौती दी और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को दरकिनार कर दिया था और श्रीमती द्वारा किए गए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन पर विचार करने के लिए मामले को उपायुक्त, तेजू के न्यायालय को भेज दिया था। डांगविम्साई पुल अर्थात स्वर्गीय खालिको पुल की पहली पत्नी। इस संदर्भ में यह तर्क दिया गया है कि जब नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, तो कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को अलग कर दिया गया था और इस तरह अपीलार्थी को पत्नियों में से एक होने के नाते अपने जीवनसाथी की संपत्ति का संकेत देना आवश्यक था।

11. उक्त तर्क की सराहना करने के लिए, उच्च न्यायालय ने किसान शंकर कथोर बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया है। (2014) 14 एस. सी. सी. 162 जिसमें इस न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कि उस मामले में अपीलार्थी के नेतृत्व में नामांकन पत्रों में अपीलार्थी की पत्नी से संबंधित बंगले का स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया था, इसे एक महत्वपूर्ण चूक माना था।उक्त निर्णय पर विचार करने के बाद हम ध्यान देते हैं कि उक्त मामले के तथ्यों में उम्मीदवार होने के नाते पति की एक पत्नी थी जो रह रही थी और उसके पास कुछ संपत्तियां थीं जिनका उल्लेख फॉर्म No.26 में किया जाना था और ऐसा करने में उसकी विफलता को इस न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण चूक के रूप में माना गया था।उसी निर्णय में, इस न्यायालय ने बिजली बकाया का खुलासा न करने के संबंध में भी ध्यान दिया था, जिसके बारे में एक विवाद लंबित था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यह एक गंभीर चूक नहीं थी।इसलिए इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह विचार कि क्या यह सारवान चरित्र का दोष है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या ऐसा खुलासा न करना सारवान चूक होगी या नहीं।यद्यपि उक्त अवलोकन को सामान्य अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन कानून की स्थिति अलग नहीं हो सकती है और यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना किसी मामले पर अमूर्त रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।

12. यह ध्यान देने योग्य है कि तत्काल तथ्यों में, वर्तमान चुनाव के लिए नामांकन पत्र 22.03.2019 पर दिए गए थे।यदि उक्त तिथि को प्रासंगिक तिथि के रूप में लिया जाता है, तो पहली पत्नी को 04.05.2017 पर जारी किए गए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को निर्विवाद समय पर जारी किए जाने के रूप में समझना होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को 04.10.2017 पर चुनौती दी थी, जिसे विद्वान 1029 द्वारा अलग कर दिया गया था।

20.12.2018 पर सत्र न्यायाधीश।अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह उल्लेख किया गया है कि कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के मुद्दे को चुनौती देने वाली याचिका में अपीलार्थी ने उस संपत्ति का स्वामित्व स्थापित नहीं किया था जो उसके दिवंगत पति के स्वामित्व में थी, लेकिन केवल यह

तर्क दिया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अधिकार क्षेत्र के बिना था।विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उसी को दरकिनार करने और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उपायुक्त के न्यायालय में कार्यवाही को रिमांड करने के लिए पारित आदेश से पता चलेगा कि संपत्ति पर पक्षों का अधिकार अपीलार्थी के पक्ष में तय नहीं किया गया था, लेकिन प्रमाण पत्र को अधिकार क्षेत्र के बिना होने के रूप में अलग रखते हुए, मामले को उस अधिकार क्षेत्र वाले प्राधिकरण को भेज दिया था, जिसे इस पर विचार करने की अधिकार क्षेत्र थी।

13. इसके बाद कार्यवाही लंबित थी और अंततः लोहित जिले के कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा 22.03.2022 पर एक नया कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया था।उक्त प्रमाण पत्र उन संपत्तियों के संबंध में था जो दिवंगत पति के नाम पर थीं, जिनके बारे में प्रतिवादी द्वारा फॉर्म No.26 में शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी।यदि यह स्थिति है, जैसा कि आई. डी. 1 पर है, जब नामांकन का नेतृत्व अपीलार्थी द्वारा किया गया था, तो कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र से संबंधित मुद्दा, हालांकि अलग रखा गया था, बड़े पैमाने पर था और विवाद लंबित था।किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी ने उक्त संपत्तियों पर कोई दावा नहीं किया था जो फॉर्म-26 में इंगित नहीं थे।यद्यपि प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि शेष परिवार के सदस्यों के नेतृत्व में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र', जिसके परिणामस्वरूप अंततः पहली पत्नी के पक्ष में दिनांकित कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया, कानून के विपरीत है क्योंकि नाबालिग बच्चों ने भी उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, इसकी वैधता यहां विचार के लिए एक मुद्दा नहीं है।तथ्य यह है कि हस्ताक्षर करने वाले अन्य व्यक्तियों ने भी संकेत दिया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार पहली पत्नी के पक्ष में कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया है।इसलिए, न तो पति या पत्नी की मृत्यु की तारीख को और न ही वर्ष 2016 में पहली बार चुनाव के लिए नामांकन की तारीख को या उस बिंदु पर जब नामांकन 22.03.2019 पर किया गया था, मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया था।

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 04.05.2017 को दी गई चुनौती के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

पहली पत्नी के पक्ष में जिसे 22.03.2019 पर नामांकन की तिथि के अनुसार अलग रखा गया था। इस तथ्य के अलावा, जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, विवाद अभी भी उस मंच के समक्ष बड़े पैमाने पर था, जिस पर इसे प्रेषित किया गया था, किसी भी स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को स्वयं संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है।यह उत्तराधिकार निर्धारित करने का एक तरीका है जिसके आधार पर परिणामी कार्रवाई की जाएगी। अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से उस कारण का खुलासा किया है जिसके लिए उसने कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी।साक्ष्य का हिस्सा इस प्रकार हैः-

“यह कि कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 04.05.2017 को मेरी चुनौती मुख्य रूप से श्रीमती डांगविम्साई पुल पर तेजू टाउनशिप में स्थित भूमि धारक भूखंड No.230 के कागजात सौंपने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से थी।स्वर्गीय कलिखो पुल ने अपनी मृत्यु से पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि यह भूमि मेरे लिए है।इस भूखंड के कागजात श्रीमती डांगविम्साई पुल के कब्जे में थे और श्री कैखो पुल की मृत्यु के बाद, उन्होंने मुझे इस भूखंड के कागजात संभालने में अनिच्छा दिखाई।मुझे अपने पक्ष में आवंटन आदेश प्राप्त करने के लिए इस भूखंड के कागजात की बहुत आवश्यकता थी।चूँकि श्रीमती डांगविम्साई पुल ने अपने पक्ष में अन्य संपत्तियों के संबंध में कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, इसलिए मुझे डर था कि वह भूमि के इस भूखंड के संबंध में भी किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती हैं।श्रीमती डांगविम्साई पुल को इस भूखंड के कागजात देने के लिए मजबूर करने के लिए, मैंने श्री बिलुसो तुलांग की सलाह पर कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 1 को चुनौती दी, जो मेरे पहले चचेरे भाई हैं और मेरे विभिन्न सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक मामलों को संभालने में मेरी मदद कर रहे हैं।उक्त कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली मेरे नेतृत्व में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान, भूमि के उक्त भूखंड के कागजात मुझे दिए गए थे, जिसके बाद मैंने अपनी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में रुचि लेना बंद कर दिया।इसके बाद उक्त भूमि मेरे पक्ष में आवंटित की गई।”

15. बयान के उपरोक्त निकाले गए हिस्से के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी तेज़ू बस्ती में प्लॉट No.230 के अपने अधिकार का दावा कर रही थी क्योंकि उसके दिवंगत पति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उक्त प्लॉट अपीलार्थी के लिए है।इसलिए इस चुनौती को श्रीमती से उक्त संपत्ति के दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए एक दबाव रणनीति के रूप में उठाया गया था।

पुल अर्थात, पहली पत्नी।इसलिए, यह उनकी स्पष्ट समझ थी कि शेष संपत्तियां स्वर्गीय खालिको पुल की पहली पत्नी की होंगी और उनका अधिकार ऊपर उल्लिखित प्लॉट No.230 का था।प्रस्तुत साक्ष्य की पृष्ठभूमि में पूरे मामले का वजन करते हुए और संभाव्यता की प्रधानता के आधार पर निर्णय पर पहुँचते हुए, अपीलार्थी द्वारा यहाँ की तथ्य स्थिति में दिए गए स्पष्टीकरण को प्रशंसनीय के रूप में स्वीकार करना होगा क्योंकि अपीलार्थी ने प्रपत्र <आई. डी. 2 में अपना नामांकन दाखिल करते हुए और अपने नाम पर खड़ी संपत्तियों के विवरण का संकेत देते हुए तेजू बस्ती में प्लॉट <आई. डी. 1 का संकेत दिया है, जिस पर वह अपने दिवंगत पति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान दिए गए आश्वासन के आधार पर दावा कर रही थी और उसने किसी अन्य संपत्ति पर दावा नहीं किया है जो उसके मृत पति के नाम पर थी, जिस पर, जैसा कि उसने दावा किया था कि पहली पत्नी सफल हुई है।

16. इसलिए, तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यदि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, तो पति या पत्नी की संपत्तियों को इंगित करने के लिए फॉर्म-26 में कॉलम में उक्त

संपत्तियों का खुलासा नहीं होगा, क्योंकि पति या पत्नी जीवित नहीं थे और उनकी मृत्यु पर उत्तराधिकार खोला गया था, अन्यथा भी उसने उन संपत्तियों में किसी भी हित का दावा नहीं किया था जो विषय वस्तु हैं और मृतक पति या पत्नी की थीं।इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में महत्वपूर्ण चरित्र का दोष था।अतः, यह अपीलार्थी के नेतृत्व में नामांकन की अनुचित स्वीकृति का मामला नहीं था।इस प्रकार मैरेम्बम पृथ्वीराज में प्रतिपादित सिद्धांत

@ पृथ्वीराज सिंह बनाम पुखरम शरतचंद्र सिंह (2017) 2 एस. सी. सी. 487

यह यहाँ लागू नहीं था।इसलिए उच्च न्यायालय को इसमें उत्पन्न होने वाले तथ्यों पर इसे लागू करने में न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था।

17. जैसा कि उल्लेख किया गया है, हमने संकेत दिया है कि वर्तमान तथ्यों में प्रत्यर्थी का तर्क कि यह गैर-प्रकटीकरण के बराबर होगा और इसलिए महत्वपूर्ण चरित्र का दोष स्वीकार नहीं किया जा सकता है और चूंकि उस परिस्थिति में यह अनुचित रूप से स्वीकार किए गए नामांकन का मामला नहीं है, इसलिए इसने निश्चित रूप से आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) (i) (iv) में विचार किए गए चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं किया है।इसके अलावा, भले ही वह उद्देश्य जिसके साथ यह न्यायालय

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) 5 एस. सी. सी.

यदि परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, तो इसमें शामिल तथ्यों से संकेत मिलता है कि यहाँ आरोप को गैर-प्रकटीकरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है

यद्यपि अपीलार्थी के लिए यह खुला हो सकता था कि वह इस पहलू को हलफनामे में इंगित करे, लेकिन किसी भी स्थिति में, यह एक महत्वपूर्ण दोष नहीं है ताकि चुनाव के परिणाम को यहां के तथ्यों और परिस्थितियों में भौतिक रूप से प्रभावित किया जा सके।18. इसलिए, उपरोक्त सभी कारणों से गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ईटानगर पीठ द्वारा 2019 की चुनाव याचिका संख्या 3 में पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप 2019 की चुनाव याचिका संख्या 3 को खारिज कर दिया जाता है।अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है, हालांकि लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

19. लंबित आवेदन, जो भी हो, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे